

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधि० संख्या-10-PMAY-G-27/2019/ग्रा0वि0-, 3049 राँची, दिनांक 22-08-19

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय मद में उपलब्ध राशि से एकमुश्त मासिक मानदेय पर निम्न कर्मियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की संख्या	मासिक मानदेय
1	राज्य समन्वयक (IT)	01	50,000/-
2	सहायक वित्त प्रबंधक	01	40,000/-
3	Computer Operator-Cum-Office Assistant	02	18,190/-

2. उपर्युक्त सभी पदों पर नियुक्तियाँ राज्य स्तर पर होगी। उक्त नियुक्तियाँ में कोई पद आरक्षित नहीं होगा। इन पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

3. **शैक्षणिक योग्यता :** उपर्युक्त पदों के लिए निम्नरूपेण शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है :-

S. No.	Name of the Post	No. of Post	Age	Education Qualification and Experience
1.	राज्य समन्वयक (IT)	01	25-45 Yrs	MCA/M.Sc (IT) from recognized university/institutions with minimum 5 years' experience
2.	सहायक वित्त प्रबंधक	01	25-45 Yrs	Post Graduate/Graduate in Finance, Accounting, Economics or Business Administration from recognized university/institutions with minimum 3 years' experience
3	Computer Operator-Cum-Office Assistant	02	18-30 Yrs	Intermediate & Diploma in Computer Application from recognized university/institutions with minimum 1 years' experience

उम्र सीमा* :- उम्र की गणना 01.09.2019 के आधार पर की जाएगी।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया :-**

i) सभी पदों के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

ii) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, एवं दक्षता जाँच के अंकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा।

5. **मेधा सूची :-**

i. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा

सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

- II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- III. दक्षता जाँच में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
- IV. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनाल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरिय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. मूल्यांकन :-

- I. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा।
- II. कंप्यूटर जाँच में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
- III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
- IV. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की जाँच ले सकती है।

7. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

- I- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर 11.09.2019 से 20.09.2019 तक समर्पित करना होगा।

8. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी :-

- (i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। वित्तीय वर्ष समाप्त के उपरान्त उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
- (ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मि को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

- (v) कार्यो की समीक्षा उपरान्त इन्हें प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की तिथि से इनके मानदेय में अधिकतम 5% की वृद्धि की जाएगी।
- (vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा दी जायेगी, जिसका निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मियों को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य सरकार के यात्रा नियमावली के अनुरूप यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- (viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- (ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।



(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-

/ग्रा0वि0-10-PMAY-G-27/2019, 3049 राँची, दिनांक:- 22.08.19
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव